



# रामपुर पुलिस



**आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित-**

अवगत कराना है कि दिनांक 02.09.2015 को अभियुक्त के कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू बरामद होने के सम्बन्ध में थाना शाहबाद पर मु0अ0सं0 393/2015 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम सुरेन्द्र पुत्र हरपाल नि0अलफगंज थाना शाहबाद जनपद रामपुर पंजीकृत किया गया।

पुलिस एवं अभियोजन के सतत प्रयास के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 02.07.2024 को मा0न्या0 ACJM-01, रामपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि व 1,000 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।